

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उडसरिया आरएएस

प्रकरण सं० : 114/2022

अनवान :

1. संजय पुत्र रूलीचन्द जाति जाट निवासी भीमसाना तहसील सिद्धमुख जिला चूरु ।
:- वादी

बनाम

1. रूलीचन्द पुत्र विद्या उर्फ बिदो दुखतर नन्दराम जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा पत्नी अमीलाल जाट निवासी भीमसाना तहसील सिद्धमुख ।
2. सुरेशकुमार पुत्र रूलीचन्द जाट निवासी भीमसाना तहसील सिद्धमुख ।
3. मोहनी पुत्री रूलीचन्द पत्नि रामसिंह जाति जाट निवासी भीमसाना हाल मालकस तहसील भादरा ।
4. बसन्ती कुमारी पुत्री रूलीचन्द पत्नि दौलतराम जाति जाट निवासी भीमसाना हाल मालकस तहसील भादरा ।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा ।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिहाग एवं वकील प्रतिवादीगण श्री महावीर सिंह की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भाडी के खाता सं० 266/247 के खसरा सं० 87 की 7.6790 है० क षि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 रूलीचन्द के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। उक्त वर्णित वादभूमि में प्रतिवादी सं० 1 रूलीचन्द का नाम कलमजन किया जाकर वादी संजय व प्रतिवादी सं० 2 सुरेशकुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं० 1, 3 व 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ...18.05.26.... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



Nidhi
सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रैक) भादरा
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़